


भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

०

TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्ररूप—26

(नियम 4क देखिए)

RHM 29 AB 058477



उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र

भाग—क

मैं, अशोक कटारिया **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रमाल सिंह आयु 44 वर्ष, जो हीमपुर प्रथ्या, रत्नगढ़, बिजनौर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के सम में लड़ रहा हूं।
(*जो लार्गोन हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम: 24, नूरपुर, उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 343 के क्रम सं 343 पर प्रविष्ट है।

339/41, Navbasta, Reed

प्रेस रांझा

२८)

स्टाप्प शिक्षक दी रिपोर्ट

स्टाप्प शिक्षक करने वाले प्रमाणात्

स्टाप्प करने वाले प्रमाणात्


स्टाप्प की वार्तापत्रि


दूसरे दौरे के दौरे संख्या ३४


लाठ नवीनीकरण ३१-३-२०१५, कलेजियल कोट, लखनऊ

११५१२०८

ओरोंक एवं विद्या
सेवा बोर्ड
के लिए

(3) मेरा / मेरे 9410209999 संपर्क दूरभाष संख्या / संख्याएँ हैं / हैं और ashokkatariya9@gmail.com मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i) 

(ii) 

(iii) 

मेरा / मेरे सोशल मीडिया खाता / खाते (यदि कोई हो) हैं / हैं | FB/ashokkatariya9

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के बारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्तिः :

क्र. सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं	AVAPA8855E	कभी नहीं	लागू नहीं
2.	पति या पत्नी	नहीं	कभी नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित - 1 (अभिभन्न)	नहीं	नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित - 2 (आरोही)	नहीं	नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित - 3	नहीं	नहीं	लागू नहीं


(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यारे	लागू नहीं
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	द्वारीखें (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं / हैं	लागू नहीं


(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं / हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-


14/10/2018
339/41, नवी निवास, नवी मुंबई, मुंबई, 400078
प्राप्ति दिन: 14/10/2018
प्राप्ति संख्या: 339/41-नवीनिवास-नवीमुंबई-400078
लागू नहीं

	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	1—अपराध सं0—152/12, तिथि 31.08.2012, अन्तर्गत धारा 153ए, 298आई. पी.सी., थाना सिवालाकला, बिजनौर न्यायालय श्रीमान सिविल जज जे.डी. /जे.एम., चांदपुर बिजनौर वाद सं0 900/2013 (मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा केस नं0 10178/2016) दिनांक—03.05.2016 के द्वारा स्थगनादेश पारित) 2—अपराध सं0—151/12, तिथि 30.08.2012, अन्तर्गत धारा 153ए, 298आई. पी.सी., थाना सिवालाकला, बिजनौर न्यायालय श्रीमान सिविल जज जे.डी. /जे.एम., चांदपुर बिजनौर वाद सं0 897/2013 (मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा केस नं0 10179/2016) दिनांक—03.05.2016 के द्वारा स्थगनादेश पारित) 3—अपराध सं0—526/12, तिथि 03.09.2012, अन्तर्गत धारा 188, 153ए आई.पी.सी., थाना चांदपुर, बिजनौर न्यायालय श्रीमान सिविल जज जे.डी. /जे.एम., चांदपुर बिजनौर वाद सं0 355/2013, (मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा केस नं0 10173/2016) दिनांक—03.05.2016 के द्वारा स्थगनादेश पारित) 4—अपराध सं0—274/2000, तिथि 30.04.2000, अन्तर्गत धारा 147,341,332,336,290,283,427 आई.पी.सी., थाना भोजीपुरा, बरेली न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम. चतुर्थ बरेली वाद सं0 1201/2000, दिनांक—24.07.2000 को संज्ञान लिया गया परन्तु आरोप विरचित नहीं 5—अपराध सं0—664/2005, तिथि 22.11.2005, अन्तर्गत धारा 147,148,149,153ए, 353,332,427, आई.पी.सी., 7 सी.एल.ए थाना हजरतगांज, लखनऊ न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम. लखनऊ वाद सं0 11961/2006, दिनांक—26.08.2006 को संज्ञान लिया गया परन्तु आरोप विरचित नहीं 6—अपराध सं0—178/2013, तिथि 08.09.2013, अन्तर्गत धारा 188,153ए,353,435 आई.पी.सी., 7 सी.एल.ए थाना सिरवेड़ा,मुजफ्फरनगर (आरोप विरचित नहीं)
(क)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	उपरोक्त
(ख)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	उपरोक्त
(ग)		

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा—8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:
यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

NK
Date 14/09/2018
339/41, Tilaknagar
Nainiasta, Lucknow-3
Ph. no. 311717006



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	कोई नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथिति	लागू नहीं

(7) मैं भेरे, भेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ— जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण—1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण—2— जमा /विनिधान की दशा में क्रम सं0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक /संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण—3— सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण—4— यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—75का के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण—5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(i)	बाथ में नकदी	रु0— 25,000/-	रु0— 20,000	नहीं	नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे, (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1. एस0बी.आई0, धामपुर, बिजनौर, खाता सं0— 30404727648 रु0— 32,097/- 2. सर्व यूपी0 ग्रामीण बैंक, रत्नगढ़, बिजनौर, खाता सं0— 92860100130440 रु0— 4580/-	1. पंजाब नेशनल बैंक, अल्लाहपुर, बिजनौर खाता सं0— 4969000100001862 रु0— 4,93,826/-	1. पंजाब नेशनल बैंक, धामपुर, बिजनौर खाता सं0— 4969001500012319 रु0— 37,698/-	1. पंजाब नेशनल बैंक, धामपुर, बिजनौर खाता सं0— 4969000100111309 रु0— 3,77,236/-	लागू नहीं


16/4/2018
100. 3387
Shukla
Adv. I. S. Garg
39/41, Sector 3
Noida, U.P. 201306
Phd

टिप्पणी-2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	खसरा संख्या 43, का 1/4, हीमपुर, प्रध्या, विजनौर	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.6244 एकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के साध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित व्यालू बाजार मूल्य	रु0— 5,74,425/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

16/4/2018
मुमुक्षु विवरण
प्रध्या विवरण
विजनौर
लागू नहीं

	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं				
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं				
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं				
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल मापें)	लागू नहीं				
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं				
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं				
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं				


 614120
 330/4/1, Naukarta Colony-3
 Naukarta, 170066
 Dated: 10/01/2019

(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संचालक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्धारित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमतित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(V)	अन्य (जिसे कि सम्पत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(VI)	पूरकवृत्त (I) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	रु0— 05,74,425/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :—

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

16/4/2018
100. " Shukla
Ranbir Singh
A.G. Secretary
333/41, Tansen Marg
Naubasta, Lucknow-220006
E-mail:

क्रसं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संरथाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से मिल्ने किन्हीं अन्य व्यष्टिकों निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलिफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेकंडरी शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रय कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	व्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लाभित है, का वर्णन करें	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्योरे:

- (क) स्वयं....कृषि.
- (ख) पति या पत्नी...गृहणी

(9क)आय के स्रेत्र (झोतों के ब्योरे):

N
16/4/2019
300.
Adv. D. P. S. Garg
339/41, इंद्रप्रसाद गढ़-3
Delhi-110016
Date: 16/4/2019

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क	जांगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	रु0— 02,63,053.18/-	रु0— 19,39,678/-	रु0— 13,562/-	रु0— 3,77,236/-	लागू नहीं	
ख	स्थावर आस्तियाँ						
i.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	
ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास / सनिमाण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत						
	(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
		रु0—5,74,425/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
9	दायित्व						
i.	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	
ii.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	
10	ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं						
i.	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	
ii.	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	
11	उच्चतम शैक्षिक अंडांता: एम०.ए० (राजनीति विज्ञान), रोहेलखण्ड विश्वविद्यालय, रोहेलखण्ड विश्वविद्यालय, 2003 (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्ध का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्ध का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 16/04/2018 को सत्यापित किया गया।



अभिसाक्षी

टिप्पण : 1—शपथ-पत्र नामांकन फाइल करने के अन्तिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2—शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।


टिप्पण : 3—सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए लिये कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4—शपथ-पत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



16/04/2018
Court of Session, Allahabad
339, New Market Road, Allahabad
Uttar Pradesh - 211001

Identity of the concerned witness
has signed/it before me
Puneesh Anandwadi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 058478

अभ्यर्थीयों द्वारा जमा कराये जाने वाला अतिरिक्त शपथ—पत्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन में अशोक कटारिया (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र श्री रमाल सिंह आयु 44 (वर्ष), निवासी हीमपुर प्रथ्या, रतनगढ़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी, सत्यनिष्ठा से ये प्रतिज्ञान करता हूं और शपथपूर्वक निम्नलिखित अनुसार कहता हूं :—

(i) मुझे वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पहले आखिरी दस वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई भी सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया था।

या

(ii) मुझे वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पहले आखिरी दस वर्षों की अवधि के दौरान में (आवास के पते का उल्लेख करें) आवास आवंटित किया गया था और (तारीख) (आखिरी तारीख निर्वाचन की घोषणा के महीने से पहले के तीसरे महीने की आखिरी तारीख होनी चाहिए) के अनुसार उक्त आवास पर टेलीफोन, पानी और बिजली उपलब्ध करवाने वाली एजेन्सी को कोई बकाया या आवास के लिए किराये की मद पद कोई देय राशि बकाया नहीं है।

(iii) सम्बन्धित एजेंसियों से 'बेबाकी प्रमाण—पत्र' इसके साथ संलग्न है।

सत्यापन

मैं, ऊपर लाभमत्त अभिसाक्षी, एतद्वारा यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और इसका कोई हिस्सा असत्य नहीं है।

16/04/2018 तारीख को सोमवार दिन लखनऊ स्थान पर सत्यापित किया गया।

16/04/2018
Shukla
Adv. / M.A. / LL.B.
339/41, Raja Bazaar, Lucknow - 226003
Nainital, 3/17/2006
S. No. 14
Shukla

16/04/2018
Shukla
Adv. / M.A. / LL.B.
339/41, Raja Bazaar, Lucknow - 226003
Nainital, 3/17/2006
S. No. 14
Shukla

अभिसाक्षी

१११५/२०१८

(६)

क्रम संख्या..... २४२
स्टाम्प विक्रय की तिथि.....
स्टाम्प ब्रूथ पराने का प्रतीक.....
स्टाम्प छोड़ने का रात्रि व वार्ष.....
स्टाम्प की जारिति..... १०/
टैक्स टैक्स डॉक्टर लाइन०-३४
लाठू नवीनीकरण ३१-३-२० कलेक्टर कोर्ट, लखनऊ

मालिक नाम
श्री श्री हारदी गुप्त
R.C. - गुप्त